(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 3/2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति अटरू जिला बारॉ

(निगराकार)

बनाम

1– सरपंच, ग्राम पंचायत मेरमाचाह पंचायत समिति अटरू जिला बारॉ
2– सचिव, ग्राम पंचायत मेरमाचाह पंचायत समिति अटरू जिला बारॉ
3– विनोद नागर पुत्र रामपाल जाति धाकड निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू

(गैर निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1– श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (निगराकार)
2– अनुपस्थित (गैर निगराकार क्रम 1 ता 3)

निर्णय दिनांक 8.11.2019

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति अटरू जिला बारॉ द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मेरमाचाह पंचायत समिति अटरू द्वारा दिनांक 27.7.2017 को विनोद नागर पुत्र रामपाल जाति धाकड निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू के पक्ष मे पट्टा संख्या 44 पैमाइशी 40X45 वर्गफीट जारी किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरूद्व गैर–निगराकर इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 2.9.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर–निगराकारो को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ सचिव ग्राम पंचायत मेरमाचाह से मूल रिकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत मेरमाचाह से मूल रिकार्ड इस न्यायालय मे अप्राप्त रहा है। गैर–निगरकार क्रम 1 ता 3 के नाम जारी सम्मन बाद तामील इस न्यायालय को वापिस प्राप्त हुये है। गैर–निगराकार क्रम 1 ता 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर, उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर, प्रकरण मे निगराकार के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:32:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे दौराने बहस निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा दिनांक 27.7.2017 को गैर–निगराकार क्रम 3 के पक्ष मे पट्टा संख्या 44 पैमाइशी 40X45 वर्गफीट का जारी किया है, जो कि नियम विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अवैधानिक है और काबिले खारजा है। उक्त पट्टे को आगे विवादित पट्टे के नाम से संबोधित किया गया है।

यह कि विवादित पट्टा गैर–निगराकार क्रम 1 व 2 ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके खसरा नम्बर 585 किस्म चारागाह मे जारी किया है। जिसका गैर–निगराकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नही है। गैर–निगराकार को केवल आबादी भूमि मे ही एक निश्चित श्रेणी के लोगो को ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर–आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक रास्ता आदि की भूमि मे) पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है।

यह कि उक्त विवादित पट्टे बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारॉ के निर्देश पर जॉच की गई। उक्त जॉच से यह स्पष्ट हुआ है कि विवादित पट्टा आबादी भूमि मे जारी करना नही पाया गया है और गैर–निगराकार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियम विरूद्व अवैधानिक रूप से चारागाह भूमि मे पट्टा जारी किया है फलतः निरस्त होने योग्य है।

यह कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि की किस्म बाबत तहसीलदार अटरू ने भी हल्का पटवारी से खसरा नम्बर की जांच करवाई है (जिसकी छायाप्रति संलग्न है) जिसमे विवादित पट्टा खसरा नम्बर 585 रकबा 0.20 हेक्टयर किस्म चारागाह भूमि मे स्थित होना पाया गया है लिहाजा विवादित पट्टा किसी भी तरह कानून सम्मत न होने से पुनरीक्षित किया जाकर निरस्त किए जाने योग्य है।

यह कि गैर–निगराकार ने उक्त पट्टा नियम 157 (1) के तहत प्रारूप 23 (क) मे जारी किया है, जो कि पुराने घरों को विनियमिती करण का प्रावधान करता है, जो कि आबादी भूमि मे बने आवासो के बाबत ही जारी किया जा सकता है। किन्तु गैर–निगराकार क्रम 1 व 2 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चारागाह भूमि मे पट्टा जारी किया है, जो कतई गैरकानूनी है। उक्त निगरानी सुनने का न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः ग्राम पंचायत मेरमाचाह, पंचायत समिति अटरू द्वारा गैर–निगराकार क्रम 3 के पक्ष मे जारी विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 27.7.2017 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

मेरे द्वारा निगराकार के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न कार्यालय तहसीलदार (भू0अभि0) अटरू जिला बारॉ द्वारा पत्रांक/भू0अभि0/2019/979 दिनांक 21.6.2019 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति अटरू को प्रेषित की गई जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा चारागाह भूमि का पट्टा गैर–निगराकार क्रम 3 के नाम नियम विरूद्व जारी किया गया है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति अटरू द्वारा इस न्यायालय मे पेश की गई निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मेरमाचाह, पंचायत समिति अटरू द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 27.7.2017 गैर–निगराकार क्रम 3 विनोद नागर पुत्र रामपाल जाति धाकड़ निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारॉ के नाम जारी निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:32:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2019.12.13 14:42:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: